कार्यालय - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवहर।

नामांकन सूचना

वेबसाइट- www. dietsheohar.com इमेल- dietsheohar@gmail.com

डी.एल.एड. प्रशिक्षण सत्र 2020–22 में प्रथम एवं द्वितीय सूची से नामांकन के उपरांत कुल स्वीकृत ईकाई 100 के विरूद्ध रिक्ति सीट 27 (विज्ञान–13 एवं कला/वाणिज्य–14) पर नामांकन हेतु दिनांक 12.02.2021 को प्रकाशित कॉउन्सेलिंग सूचना के आलोक में दिनांक 13.02.2021 से 19.02.2021 तक कॉउन्सेलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का मेधा कम के अवरोही कम में सजाने पर जिस अभ्यर्थी का कोटिवार/विषयवार अधिक मेधा अंक है उसे चयन कर संस्थान के वेबसाईट एवं सूचना पट्ट पर तृतीय चयन/मेधा सूची प्रकाशित की गई है। अभ्यार्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का घोतक है, नामांकन की अनिवार्यता का नही। चयनित अभ्यार्थी दिनांक 20/02/2021 से 24/02/2021 तक कार्यालय के कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक निम्न अभिलेखों/दस्तावेजो के साथ संस्थान में नामांकन कराना सुनिचित करेंगे। निर्धारित तिथि तक नामांकन नही लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के प्रिन्ट आवेदन पत्र के प्रविश्टियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के उपरांत शुल्क जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा । भुगतान रसीद कार्यालय में निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा कराना होगा जिसके बाद ही उनके नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

नामांकन के समय निम्न मूल प्रमाण-पत्रों एवं शर्तो के साथ उपस्थित होंगें-

1. ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की प्रति।
2. मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र ।
3. इंटर परीक्षा का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
4. आवासीय, जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।(यदि लागू हो)
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाद्यियल परित्याग प्रमाण-पत्र।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
8. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500/-(ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये) एवं अनुसूचित जाति जन जाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000/-(सात हजार रूपये) शुल्क का भुगतान ऑनलाइन संस्थान के बैंक खाते में जमा के माध्यम से होगा।
9. सभी मूल प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगें।
10. सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों में फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशी किसी भी स्थिति मे वापस नही की जाएगी।
12. स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा)
13. शपथ–पत्र (कार्यपालक दंडाधिकारी/नॉटरी पब्लिक) जिसमें इस आशय का अंकन होगा कि नामांकन के क्रम में उपस्थापित सभी प्रमाण–पत्र सही है। फर्जी होने पर नामांकन रद्द कर दिया जायेगा तथा कानूनी कार्रवाई हेतु जिम्मेवार स्वयम् होगें। किसी संस्थान में नामांकित तथा अध्ययनरत नहीं है।
14. उपर्युक्त सभी शर्तो को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

नोट:-महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र नामांकन के समय लाना अनिवार्य है।

19/02/2021

प्रभारी प्राचार्य

डायट, शिवहर।

19/2/21